उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर

ज्ञापन

कमांक B/2571/
चार–4–9/06 IV

जबलपुर दिनांक 16/मई 2019.

प्रति,

(1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
समस्त (म0प्र0), ।

(2) प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
समस्त (म0प्र0)

विषयः– आवासीय कार्यालय फर्नीचर अंतर्गत कय की गई सामग्री के सुधार कार्य के देयक/प्रतिपूर्ति भुगतान के संबध में।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, का पत्र कमांक 2458/2019/21–ब (एक) दिनांक 03.05.2019.

––00––

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयांर्न्तगत संदर्भित पत्र आपकी ओर संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र कमांक 2458/2019/21–ब (एक) दिनांक 03.05.2019 के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

टीपः–रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg (IT)(SA)/2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा सामान्य प्रशासनिक आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश/ज्ञापन की प्रति डाउनलोड करें व तदानुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

16/05/19

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य/अधोसंरचना)

पृष्ठांकन कमांक B/2572
चार–4–9/06 IV

जबलपुर दिनांक 16/मई 2019

प्रतिलिपिः–

अनुभाग अधिकारी (पेंशन/बजट/लेखा) उच्च न्यायालय (म0प्र0) जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16/05/19

(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य/अधोसंरचना)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रं. 2458 / 2019 / 21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 03.05.2019

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय
जबलपुर

विषयः– आवासीय कार्यालय फर्नीचर अंतर्गत क्रय की गई सामग्री के सुधार कार्य के देयक / प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान हेतु मार्गदर्शन प्रदाय किए जाने बाबत्।

संदर्भः– मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक C/1820/IV–4–9 / 06, जबलपुर दिनाक 15 अप्रैल, 2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के अनुक्रम में लेख है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 352 दिनांक 08.04.2019 अनुसार न्यायिक अधिकारीगण के द्वारा आवासीय कार्यालय फर्नीचर अंतर्गत क्रय की गई सामग्री के सुधार कार्य के देयक / प्रतिपूर्ति देयकों का भुगतान जिला न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है अथवा नही ?

इस संबध में निवेदन है कि न्यायाधीशों के आवासीय कार्यालय हेतु प्रत्येक पांच वर्ष में प्रदान किए जाने वाले रूपये 90,000 / – की राशि से क्रय किए गए फर्नीचर इत्यादि की टूटफूट की मरम्मत कराए जाने का भार राज्य शासन पर नहीं है।

अतः उपरोक्त जानकारी समुचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(रूपम वेदी)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग